

क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2020/८०१३

भोपाल, दिनांक २९/12/2020

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
2. समस्त अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविधालय म.प्र।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
4. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।

विषय:- SARS CoV-2 Virus की नई प्रजाति की जांच हेतु Genomic Surveillance के संबंध में दिशा निर्देश।

- संदर्भ:-
1. आई.सी.एम.आर, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा जारी "Specimen Collection, Packaging & Transport guidelines for Genome Sequencing of SARS CoV2 at Points of Entry".
 2. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सहभागिता युक्त Indian SARS-Co V-2 Genomics Consortium (INSACOG) द्वारा जारी दस्तावेज: "Genomic Surveillance for SARS CoV-2 in India"
 3. संचालनालयीन पत्र क्र./आई.डी.एस.पी./2077 दिनांक 22/12/2020

विषयांतर्गत लेख है कि यूनाईटेड किंगडम में प्रतिवेदित SARS CoV-2 Virus की नई प्रजाति को दृष्टिगत रखते हुये यह अत्यंत आवश्यक है कि भारत में वायरस के प्रसार के संबंध में समझ विकसित करने हेतु "जिनोमिक सर्वेक्षण" (Genomic Surveillance) की जाये। इस हेतु Indian SARS-Co V-2 Genomics Consortium (INSACOG) द्वारा नमूनों की जांच कर वायरस के बरताव, जेनेटिक कोड, म्यूटेशन आदि पर अध्ययन किया जायेगा तथा वैक्सीन के अनुसंधान हेतु भी कार्यवाही की जायेगी।

SARS CoV-2 Virus की नई प्रजाति के Genome Sequencing हेतु निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं:-

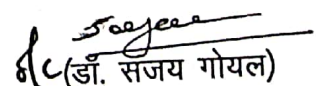
1. दिनांक 23 नवम्बर 2020 से 22 दिसम्बर 2020 के मध्य यूनाईटेड किंगडम से यात्रा करने वाले/गुजरने वाले पॉजीटिव पाये गये शत-प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की Genome Sequencing हेतु नमूनों की जांच कराई जाये।
2. वैक्सीन ट्रायल में भाग लेने वाले अथवा वैक्सीन प्राप्त किए हुए कोविड-19 पॉजीटिव व्यक्तियों के नमूनों की भी Genome Sequencing कराया जाना होगा।
3. कोविड-19 संक्रमण के इतिहास वाले पुनः संक्रमित (Re-infection) एवं पॉजीटिव पाये गये व्यक्तियों में SARS CoV-2 Virus की नई प्रजाति द्वारा संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए Genome Sequencing कराई जाये।
4. दिनांक 23 नवम्बर 2020 के पश्चात भारत आये समस्त कोविड-19 पॉजीटिव अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के शत-प्रतिशत नमूने Genome Sequencing के लिए प्रेषित किए जाये।
5. दिनांक 09 दिसम्बर - 22 दिसम्बर 2020 के मध्य भारत आये ऐसे अंतर्राष्ट्रीय यात्री जिनमें कोविड-19 के लक्षण प्रतिवेदित होने एवं आर.टी.पी.सी.आर. जांच पॉजीटिव हों, के नमूने Genome Sequencing हेतु भेजे जाये। समस्त अन्य लक्षण रहित यात्रियों के जांच नमूने आई.सी.एम.आर. गाईडलाइन अनुसार संभावित संपर्क दिनांक के 5 वे - 10 वे दिन के मध्य लिए जाये एवं आर.टी.पी.सी.आर. जांच पॉजीटिव पाये जाने पर उनके नमूने भी Genome Sequencing हेतु भेजे जाये।
6. भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 नवम्बर 2020 के उपरान्त पॉजीटिव पाये गये समस्त व्यक्तियों में से रैन्डम आधार पर चिन्हांकित 5% व्यक्तियों के नमूनों को Genome Sequencing के लिए चिन्हांकित किया जायेगा जिसकी सूची समस्त जिलों के साथ राज्य सर्वेलेन्स अधिकारी द्वारा सांझा की जायेगी। तदनुसार, संबंधित व्यक्तियों के नमूनों की ट्रेकिंग एवं Genome Sequencing हेतु नमूनों का प्रेषण जिला सर्वेलेन्स अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाये।

7. भारत सरकार द्वारा प्रदेश हेतु चिन्हांकित Regional Genome Sequencing Laboratories (RGSL) का विवरण निम्नानुसार है:-

1.	NCDC, Delhi – Division of Bio-technology, Epidemiology & Central Surveillance Unit (Estimated Sequencing Capacity – 3000 per month)	Eastern part of MP (Gwalior, Chambal, Sagar, Shahdol, Rewa, Jabalpur Division)
2.	ICMR – National Institute of Virology (NIV), Pune DBT – National Center for Cell Science, Pune (Estimated Sequencing Capacity – 1200 per month)	Western part of MP (Indore, Ujjain, Bhopal, Hoshangabad Division)

8. नमूनों का एकत्रीकरण एवं परिवहन – पूर्व में सैम्पल एकत्रीकरण के संबंध में जारी दिशा निर्देश अनुसार ही नमूनों का रख-रखाव सुनिश्चित किया जाना है। आर.टी.पी.सी.आर. जांच के भांती ही Genome Sequencing के लिए नमूनों का संग्रहण, संधारण एवं परिवहन निम्नानुसार सुनिश्चित की जाये:-
- नमूना संग्रहण की कार्यवाही प्रशिक्षित मानव संसाधन (चिकित्सा अधिकारी/लैब टेक्नीशियन/स्टाफ नर्स) द्वारा पी.पी.ई किट (Full Component) पहनकर किया जाये।
 - Genome Sequencing हेतु एक Oro-pharyngeal तथा एक Naso-pharyngeal Swab का संग्रहण, 3 ml VTM tube में आई.सी.एम.आर के निर्देशों का पालन करते हुए एकत्रित की जाये।
 - उपर दर्शाए बिन्दु क्र. 4 एवं 5 में वर्णित अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आर.टी.पी.सी.आर जांच के लिए VTM tube में लिए गए सैम्पल में से 1 ml सैम्पल, आर.टी.पी.सी.आर प्रयोगशालाओं द्वारा तुरन्त aliquot कर -80° C पर Deep Freezer में freeze किया जाये। आर.टी.पी.आर. जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आने पर इस संधारित 1 ml सैम्पल को Genome Sequencing हेतु चिन्हांकित RGSL में ट्रिपल-लेयर पैकेजिंग कर Dry Ice में कोल्ड चेन सुनिश्चित करते हुए भेजा जाना होगा।
9. इस हेतु अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जानकारी चिकित्सा महाविद्यालयीन प्रयोगशालाओं से सांझा की जाये एवं जिला स्तर पर आवश्यक समन्वय लैब प्रभारी अधिकारी/अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय के साथ सुनिश्चित की जाये।
10. चिकित्सा महाविद्यालयीन प्रयोगशालाओं द्वारा भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित RGSL में नमूनों की Genome Sequencing के लिए परिवहन पर संभावित व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को प्रस्ताव भेजा जाये। प्रस्तावों के परीक्षण उपरान्त भुगतान की कार्यवाही Re-imbursement mode में FMR code B.31.1.1 "COVID-19 Diagnostics" में स्वीकृत बजट राशि से सुनिश्चित की जायेगी। यथासंभव, नमूनों को Genome Sequencing हेतु एक साथ चिन्हांकित RGSL में भेजा जाए ताकि परिवहन व्यय न्यूनतम रहे।

अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित


(डॉ. सजय गोयल)
आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश

क्रमांक / आई.डी.एस.पी / 2020 /

भोपाल, दिनांक / 12 / 2020

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, म.प्र।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।
5. संचालक, वित्त, एन.एच.एम, म.प्र।
6. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र।
7. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
8. समस्त जिला एपीडिमियोलोजिस्ट, एन.एच.एम., म.प्र।
9. प्रभारी, कोविड-19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

dl आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश